UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NET BUREAU

Code No. : 68

Subject : CRIMINOLOGY

SYLLABUS AND SAMPLE QUESTIONS

Note :

There will be two question papers—Paper–II will cover 50 Multiple Choice Questions (Multiple choice, Matching type, True/False, Assertion-Reasoning type) carrying 100 marks and Paper–III will have two Parts—A and B. Part—A will have 10 short essay type questions (300 words) carrying 16 marks each. There will be one question from each unit with internal choice from the same unit. Total marks will be 160. Part—B will be compulsory and Questions will be set from Unit—I to Unit—X. The candidate will attempt one question from Part—B (800 words) carrying 40 marks. Total marks of Paper–III will be 200.

PAPER–II and PAPER–III (Part A & B)

Unit—I

Criminology : Definition and Scope, Criminology and other Social Sciences; Legal, Social and Psychological Aspects of Crime; Traditional Crimes—Crimes against Property and Person; Modern Crimes : Organized Crimes, Socio-economic Crimes, Corruption, Cyber Crimes, Environmental Crimes, Terrorism and Insurgency; Crime and Politics.

Unit—II

Criminological thought in Ancient India and Abroad; Classical School and Neoclassical School; Positive School; Cartographic School; Sociological Theories—Social Structural Theories and Social Process Theories; Economic Theories of Crime; Critical Criminology / Radical Criminology / Labelling perspective.

Unit—III

Constitutional Theories : Body Types, Hereditary Traits, Endocrine Glands; Behaviourist Theories : Drives, Motives, Attitudes, Frustrations; Psycho-analytical Theories; Psychopathic Personality; Mental Health and Criminal Liability; Application of Psychology in Police, Courts and Corrections.

Unit—IV

Criminological Research : Importance and Types; Research Questions and Hypotheses; Research Design; Sampling, Data Collection, Data Analysis, Interpretation and Report Writing; Statistical Application in Criminological Research; Sources of Crime Statistics in India and Crime Trends

Unit—V

Social Change, Social Disorganization and Social Problems; Victimless Crimes : Alcoholism, Drug Addiction, Beggary, Commercial Sex, Suicide; Family centred Crimes : Dowry, Domestic Violence, Child Abuse; Community Problems : Inter-religion and Inter-caste tensions and conflicts.

Unit—VI

Juvenile Delinquency : Concept and Causes; Pre-delinquency stages : Truancy and Vagrancy; U.N. Standard Minimum Rules for Juvenile Justice (Beijing Rules); Main Features of Juvenile Justice Act; Institutional Services : Observation Homes, Juvenile Homes, Special Homes, and 'fit' Institutions; Juvenile Aftercare Services.

Unit—VII

History and Theories of Punishment; Historical Development from Punishment to Correction and Reformation, Prison Reform Since Independence; Types of Punishment—Simple and rigorous imprisonment—Capital Punishment—Views of Abolitionists and Retentionists; Current problems and challenges in Prison Administration; Indeterminate and Determinate sentence.

Unit—VIII

Prison System in India; Correctional Programmes in Jails; Aftercare Services for Adult and Juvenile Offenders; Probation, Parole—Concept and Historical Development, Probation under Different Laws.

Unit—IX

Legal Approaches : Accustorical and Inquisitorial; Substantive and Procedural Laws—Criminal Liability, Strict Liability; Indian Penal Code—General Exceptions, Offences Against Property; Criminal Procedure Code : Cognizable and Non-cognizable offences, Bailable and Non-bailable, Compoundable and Non-compoundable offences; Investigation of Crimes : Complaint, F.I.R., Powers of Police Officers, Arrest, Search, Seizure, Police Custody, Judicial Remand and Bail; Types of Evidence, Admissibility of Confession, Dying declaration; Rights of accused, Rights of victims, Rights of women in custody, Rights of prisoners.

Unit—X

Victimology—Concept, Origin and Development, Need to Study Victims, Victim Typology, Role of Victim in Criminal Phenomenon—Victim Precipitation; U.N. Declaration on the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power; Victim's Rights—Fair Access to Justice, Restitution, Compensation, and Assistance; Victim Compensation Schemes in India; Human Rights—Protection of Human Rights Act.

PAPER—II

1. Who authored the book *The Criminal and his Victim*?

(A) Drapkin Israel

(B) Emilio Viano

(C) Von Hentig

(D) Durkheim

2. The word 'white collar crime' was first coined by

(A) Barnes and Tuter

(B) Cesare Lombroso

(C) Enrico Fery

(D) Sutherland

PAPER—III (A)

1. Explain why Cesare Lombroso is called as father of criminology. Give suitable example from his contribution.

Or

Define criminology and explain its relationship with other social sciences.

PAPER—III (B)

11. Sociological theory of explanation of criminal behaviour is most acceptable one. Give your opinion with suitable examples keeping in view the other explanations.

Or

Discuss Human Rights problem in Criminology. Add a note on protection of Human Rights act.

टिप्पणी :

इस विषय के अन्तर्गत दो प्रश्न-पत्र होंगे। प्रश्न-पत्र—II में कुल 50 विकल्पी प्रश्न (बहु-विकल्पी, सुमेलित टाइप, सत्य/असत्य, कथन-कारण टाइप) होंगे जिनके कुल अंक 100 होंगे और प्रश्न-पत्र—III के दो भाग—A और B होंगे। भाग–A में 10 संक्षिप्त निबन्धात्मक प्रश्न होंगे (300 शब्दों के) जिनमें प्रत्येक प्रश्न 16 अंकों का होगा। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न होगा जिसमें हर प्रश्न के साथ तत्सम्बन्धी इकाई से एक आन्तरिक विकल्प प्रश्न होगा। कुल अंक 160 होंगे। भाग–B अनिवार्य होगा और जिसमें इकाई–I से इकाई–X में से प्रश्न पूछे जाएंगे। परिक्षार्थी को भाग–B से एक प्रश्न करने होंगे (800 शब्दों का) जिसका अंक 40 होगा। प्रश्न-पत्र—III के कुल अंक 200 होंगे।

प्रश्न-पत्र—II और प्रश्न-पत्र III (भाग A और B)

इकाई—I

अपराधशास्त्र : परिभाषा और सीमा, अपराधशास्त्र और अन्य समाज शास्त्र; अपराध के कानूनी, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप, परम्परागत अपराध—सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध, मनुष्य के प्रति अपराध; आधुनिक अपराध : संगठित अपराध, सामाजिक-आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, साईबर (Cyber) अपराध, पर्यावरण अपराध, आतंकवाद और राजद्रोह; अपराध और राजनीति।

इकाई—II

अपराधशास्त्री विचार प्राचीन भारत में और विदेशों में; शास्त्रीय सम्प्रदाय एवं नवशास्त्रीय सम्प्रदाय; पाजिटिव सम्प्रदाय; चित्रांकन सम्प्रदाय; सामाजिक सिद्धान्त—सामाजिक रचनात्मक सिद्धान्त और सामाजिक प्रक्रिया का सिद्धान्त; अपराध का आर्थिक सिद्धान्त; क्रिटिकल अपराधशास्त्र/मौलिक अपराधशास्त्र/लेवेलिंग विचारधारा।

इकाई—III

स्वभाव सम्बन्धी सिद्धान्त : शारीरिक प्रकार, अनुवांशिक (खानदानी) लक्षण, इन्डाक्राइन ग्रन्थियाँ; व्यवहारिक सिद्धान्त : ड्राइव्स, उद्देश्य, अवस्था, निराशा; मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिद्धान्त; मनोरोगी व्यक्तित्व; मानसिक स्वास्थ्य और आपराधिक उत्तरदायित्व; पोलिस में मनोविज्ञान का उपयोग, अदालत और सुधार।

इकाई—IV

अपराधशास्त्रीय शोध : महत्व और प्रकार; शोध प्रश्न और परिकल्पना; शोध का ढाँचा; नमूना लेना, डाटा इकट्ठा करना, डाटा विश्लेषण, व्याख्या और वृत्तान्त लिखना; अपराधशास्त्रीय शोध में आकणों उपयोग; भारत में अपराध के आकणी को स्रोत और अपराध की प्रवृत्ति।

इकाई—V

सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याएँ; पीड़ित सहित अपराध : मदात्पय, द्रव्य व्यसन, भिखमंगी, व्यवसायिक यौन सम्बन्ध, आत्महत्या; पारिवारिक अपराध : दहेज, घरेलू उग्रता, बच्चों का दुरुपयोग; सामुदायिक समस्याएँ : अंतरधर्म और अन्तरजातीय तनाव और संघर्ष।

इकाई—VI

बाल अपराध : धारणा और कारण; बाल अपराध के पहले की स्थिति; कामचोरी और आवारापन; संयुक्त राष्ट्रसंघ न्यूनतम मानक बाल न्याय (बेजिंग नियम); बाल अधिनियम कानून की मुख्य विशेषताएँ; संस्थागत सेवाएँ : ऑबजर्वेशन होम, किशोर होम, विशेष होम और योग्य संस्था; किशोर अनुरक्षण सेवाएँ।

इकाई—VII

दण्ड का इतिहास और सिद्धान्त; दण्ड का ऐतिहासिक विकास—दण्ड से सुधार, स्वतंत्रता के बाद से जेलों में सुधार; दण्ड के प्रकार—साधारण सजा और वामस्सकता सजा—मृत्यु दण्ड—उन्मूलन और अपरोधन पर विचार; जेल प्रशासन की प्रचलित समस्याएँ और चुनौतियाँ; अनिश्चित और निश्चित सजा।

इकाई—VIII

भारत में जेल प्रणाली; जेलों में सुधारात्मक कार्यक्रम; अनुरक्षण सेवाएँ बड़ों और बाल अपराधियों के लिए; परिवीक्षा, परोल—अवधारणा और ऐतिहासिक विकास, परिवीक्षा विभिन्न कानूनों के अंतरगत।

इकाई—IX

कानूनी उपागमन : अभियोगात्मक और परीक्षणात्मक; स्वायत्त और क्रियाविधि—अपराधिक दायित्व, कड़ा दायित्व; भारतीय दण्ड संहिता—सामान्य अपवाद, सम्पत्ति के प्रति अपराध; अपराधिक प्रक्रिया संहिता : संगेय और असंगेय अपराध, जमानतीय और अजमानतीय, कम्पाउन्डेबल और नान-कम्पाउन्डेबल अपराध; अपराधों का अन्वेषण : शिकायत, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, पुलिस अधिकारियों के अधिकार, बन्दी बनाना, तलाशी, जब्ती, पुलिस हिरासत, न्यायिक हवालात और जमानत; साक्ष्य के प्रकार, अपराध स्वीकरण की मान्यता, मरते समय का घोषणा-पत्र; अभियुक्त के अधिकार, उत्पीड़ित व्यक्ति के अधिकार, औरतों का हिरासत में अधिकार, कैदियों के अधिकार।

इकाई—X

उत्पीड़ित व्यक्तियों का शास्त्र—अवधारणा, शुरुआत और विकास, उत्पीड़ित व्यक्तियों के अध्ययन की आवश्यकता, उत्पीड़ित व्यक्तियों के प्रकार, उत्पीड़ित व्यक्ति का अपराध में भूमिका—उत्पीड़ित द्वारा उतावलापन; संयुक्त राष्ट्रसंघ की घोषणा उत्पीड़ित व्यक्ति के मूल सिद्धान्तों में न्याय और अधिकारी के दुरुपयोग पर; उत्पीड़ित व्यक्ति के अधिकार—न्याय के लिए उचित रास्ता, प्रत्यावस्थापन, क्षतिपूर्ति और सहायता, भारत में उत्पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति की योजना; मानव अधिकार—मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम।

नमूने के प्रश्न

प्रश्न-पत्र—II

1. किताब 'दी क्रिमिनल एण्ड हिज विक्टिम' किसने लिखी है?
   (A) ड्रैपकिन इसराइल
   (B) इमिलियो वियानो
   (C) वोन हेन्टीग
   (D) डुरखाइम

2. शब्द 'सफेद पोश अपराध' को प्रथम किसने प्रयोग किया था?
   (A) वर्निस और टीटरस
   (B) सीजर लोम्बरोजो
   (C) इनरीको फेरी
   (D) सदरलैण्ड

प्रश्न-पत्र—III (A)

1. वर्णन कीजिए कि सीजर लोम्बरोजो को क्रिमिनालॉजी के जनक क्यों कहे जाते है। उनके योगदान उदाहरण सहित दीजिए।

अथवा

अपराधशास्त्र की परिभाषा दीजिए और बताइये कि इसका दूसरे सामाजिक विज्ञानों से क्या सम्बन्ध है।

प्रश्न-पत्र—III (B)

11. अपराधिक व्यवहार के स्पष्टीकरण में सामाजिक सिद्धान्त सबसे अधिक मान्य है। आप अपने विचार समुचित उदाहरण के साथ दूसरे विचारों के ध्यान में रखते हुए दीजिए।

अथवा

अपराधशास्त्र में मानव अधिकार की समस्याओं पर आलोचना कीजिए। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पर एक लेख लिखिए।

★ ★ ★